

सप्तदश माला, खंड 25, अंक 10

बुधवार, 2 अगस्त, 2023

11 श्रावण, 1945 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)



(खंड 25 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कीर्ति यादव
संयुक्त निदेशक

विपिन कुमार पाल
उप निदेशक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 25, बारहवां सत्र, 2023 / 1945 (शक)
अंक 10, बुधवार, 2 अगस्त, 2023 / 11 श्रावण, 1945 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
¹ तारांकित प्रश्न संख्या 181 और 182	4-11
प्रश्नों के लिखित उत्तर	12
तारांकित प्रश्न संख्या 183 से 200	12
अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300	12
सभा पटल पर रखे गए पत्र	13-18

¹ किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 2 अगस्त, 2023 / 11 श्रावण, 1945 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर²

[अनुवाद]

माननीय सभापति : प्रश्न संख्या 181, श्री गुमान सिंह दामोर जी।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.0½ बजे

इस समय, श्री बी. माणिकम टैगोर, श्री ए. राजा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

... (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 181)

[हिन्दी]

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वस्त्र मंत्री जी एवं वस्त्र मंत्रालय के सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं और सदन चलने दें।

... (व्यवधान)

² प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं। <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

[हिन्दी]

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे लोक सभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय रतलाम में, जहाँ पर लगभग 4 हजार एकड़ शासकीय भूमि उपलब्ध है, वहाँ पर पीएम-मित्र पार्क की स्थापना करेंगे? ... (व्यवधान)

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : माननीय सभापति जी, हमारे सीनियर मेम्बर ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जब पीएम मित्र पार्क की कल्पना की गई और इसके साथ ही, पूरे देश में जब इसका प्रपोजल भेजा गया, तो पूरे देश के 12 राज्यों की ओर से हमें प्रपोजल मिला।... (व्यवधान) इनमें से सात राज्यों का प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया। गति-शक्ति मॉडल के माध्यम से, पूरे इको-सिस्टम से जो काम करने वाली जगह है, यह जो प्रस्ताव है, उसमें 51 परसेंट योगदान स्टेट गवर्नमेंट का है।... (व्यवधान) उन्होंने धार, रतलाम आदि चार जगहों के लिए प्रपोजल भेजा था, लेकिन उनमें से धार को पसन्द किया गया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में एवं श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ मिलकर वहाँ उसका एमओयू भी साइन किया गया है।... (व्यवधान) यहाँ पर एक एकड़ जगह में, एक साथ कई सारे लोग हैंडलूम, हैंडी-क्राफ्ट, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कर पाएंगे। ग्लोबल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, इस पार्क की परिकल्पना की गई है।... (व्यवधान) यह मेगा प्रोजेक्ट 4,445 करोड़ रुपए का है। इसमें बारह राज्यों ने प्रपोजल दिये हैं, जिनमें से सात राज्यों के प्रपोजल हमने एक्सेप्ट कर लिये हैं।... (व्यवधान)

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर : माननीय सभापति महोदय, जनजातीय क्षेत्रों में हाथ से कपड़ा बनाने का काम होता है और वेजिटेबल कलर्स से उनकी डिजाइन बनायी जाती है।... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है? ... (व्यवधान)

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने अच्छा सवाल पूछा है। आदिवासी क्षेत्र हो या पूरे देश के जो भी क्षेत्र हैं, वहाँ 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की तरह, हैंडलूम, हैंडी-क्राफ्ट सेक्टर, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तहत है, ये एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा

रोजगार देने वाले सेक्टर हैं। जब देश में जी-20 समिट चल रहा है, हमारे यहाँ विज़िटर्स आ रहे हैं, जहाँ माननीय सदस्य वेज़िटेबल डाईज़ की बात कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ नैचुरल कलर्स से बनने वाले कपड़े हैं, जिनकी बहुत डिमांड है।... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने रतलाम के बारे में जो बात कही है, वहाँ ट्राइब्स के लिए रंगाई यानी डाईंग कक्षा के लिए उनके बाजू के जिले- निमाड़ में हम लोगों ने एक सेन्टर खोला है, वहाँ पर हैंडलूम, हैंडी-क्राफ्ट का क्लस्टर है।... (व्यवधान) उसके माध्यम से वहाँ उनकी ट्रेनिंग भी कराई गई है।... (व्यवधान) इसके लिए पहचान-पत्र है, जो आर्टिज़न्स को दिए जाते हैं, वे आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं।... (व्यवधान) इसके बाद, मार्केट लिंकेज, रॉ-मैटेरिअल सप्लाई और नये-नये वस्त्र बनाने के लिए उनको रॉ-मैटेरिअल की बहुत सारी वेरायटीज मिल जाएं, इसके लिए सपोर्ट किया जाता है।... (व्यवधान) बड़ा वर्किंग शेड, सोलर सिस्टम से चलने वाले चरखे आदि भी उपलब्ध कराए जाते हैं और इससे संबंधित ट्रेनिंग भी दी जाती है।... (व्यवधान) इसके लिए मास्टर ट्रेनर होते हैं। इसमें भी हम लोगों ने एक सुविधा रखी है। यदि कोई पद्मश्री विजेता हैं और वे अपनी कला, किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाना चाहते हैं, तो सीखने वाले को 300 रुपए प्रति दिन के हिसाब से 45 दिनों तक मिलेंगे, इसके साथ ही, उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।... (व्यवधान) सिखाने वाले को 1,000 रुपए मिलेंगे। ... (व्यवधान) समर्थ योजना के माध्यम से ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में हैंडलूम और हैंडिक्राफ्ट के जितने क्लस्टर हैं, सभी को जोड़ा गया है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती: माननीय सभापति महोदय, आज के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि भारत रेशम धागा, ऊनी धागा, सूती धागा आदि के निर्माण में उपयोग होने वाला कच्चा माल बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, इटली आदि देशों से आयात करता है। ... (व्यवधान)

अतः, आपके माध्यम से, मेरा यह प्रश्न माननीय वस्त्र मंत्री से है। क्या सरकार ने घरेलू वस्त्र उद्योग क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता देने पर विचार किया है?

यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं? इसके अलावा, वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल का आयात कब तक पूरी तरह से बंद कर सकते हैं? धन्यवाद। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न में पूछा है, इसमें हम कई प्रकार के इम्पोर्ट्स की परमीशन देते हैं। ... (व्यवधान) इसमें यार्न होता है, इसमें सिल्क यार्न भी होता है, फ़ैब्रिक भी होता है, अपैरल के लिए भी मंजूरी दी जाती है। ... (व्यवधान) होम फर्निशिंग की चीजों के लिए और टैक्निकल टैक्सटाइल्स को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री जी ने पीएलआई स्कीम्ज वगैरह शुरू की हैं। ... (व्यवधान) पहले हमारा जो यार्न था, उसका बेस केवल कॉटन के ऊपर डिपेंड था। ... (व्यवधान) अब कई सारी चीजें हैं, जैसे होम फर्निशिंग की चीजें हैं, टैक्निकल टैक्सटाइल्स की चीजें हैं, इनमें कई प्रकार के यार्न्स मिक्स होकर बनते हैं। ... (व्यवधान)

ज्यादातर जो हम लोगों ने इम्पोर्ट किया है, उनमें वैल्यू एडिशन करके हम लोग उनको आगे एक्सपोर्ट करने के लिए, ग्लोबली सपोर्ट करने के लिए उनको भेजते हैं। ... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने सिल्क के बारे में भी सवाल किया है। ... (व्यवधान) 'सिल्क समग्र - 2' स्कीम के माध्यम से इस दिशा में काम हो रहा है। ... (व्यवधान) पहले होता था कि जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, जहां पर लोग होते हैं, वहां सिल्क की एक ही क्रॉप होती है। ... (व्यवधान) कर्नाटक में एक से ज्यादा क्रॉप्स होते थे। ... (व्यवधान) 'सिल्क समग्र - 2' स्कीम के माध्यम से हमने एमओयू साइन किया है। ... (व्यवधान) जापान के बाद हम सिल्क के सेकेंड लार्जैस्ट एक्सपोर्टर ऑफ़ फ़ैब्रिक हो सकते हैं। ... (व्यवधान) कोपुनमंजाई, मलबेरी, एरी, मुंगा जैसे सिल्क को हम लोगों ने सेरीकल्चर विभाग से जोड़ दिया है। ... (व्यवधान) उनका प्लांटेशन हो जाए, उनको सीड्स उपलब्ध कराए जाएं, उनका फ़ैब्रिक बने और वह फ़ैब्रिक एक्सपोर्ट तक जाए। ... (व्यवधान) इस तरह पूरे वैल्यू चेन में हम लोग काम कर रहे हैं। ... (व्यवधान) सरकारी पूरी कटिबद्धता से आने वाले समय में, आजादी के अमृतकाल में हम लोगों ने जो संकल्प किया है कि हम पूरे इकोसिस्टम

के साथ काम करेंगे। ... (व्यवधान) टैक्सटाइल में जूट भी है, सिल्क भी है, कॉटन भी है, मैन-मेड फाइबर भी है और टैक्निकल टैक्सटाइल है। ... (व्यवधान) अतः सबको बढ़ावा देने के लिए जो चीज जरूरी है, उसे आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हमने कदम उठाए हैं। ... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, इसमें पीएलआई स्कीम के माध्यम से ऑल-ओवर इंडिया से 64 प्रोजेक्ट्स आए। ... (व्यवधान) 10,688 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम, जिसमें बड़े प्लेयर्स आकर यहां इनवेस्ट कर सकें। ... (व्यवधान) 'पीएम मित्रा पार्क' में उनका इनवेस्टमेंट हो जाए, क्वालिटी का प्रोडक्शन हो जाए और वह काम शुरू हो चुका है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: प्रश्न संख्या 182 – श्री तीरथ सिंह रावत।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं और प्रश्नकाल चलने दें।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: हम आपको बोलने का मौका देंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

(प्रश्न संख्या 182)

श्री तीरथ सिंह रावत : माननीय सभापति जी, उन्नत सुरक्षा उपायों के रूप में, रेलवे चरणबद्ध तरीके से सैकड़ों रेलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली लागू कर रहा है। ... (व्यवधान) लेकिन अभी तक यह काम आगे नहीं बढ़ा है, काम जस-का-तस है। ... (व्यवधान) मैं इतना जरूर कहूंगा कि रेलवे स्टेशनों पर अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं। ... (व्यवधान) रेलवे स्टेशंस सुसज्जित हुए हैं। ... (व्यवधान) मैं यह कह सकता हूँ कि बहुत जगहों पर, उत्तराखंड के अंदर भी नए रेलवे सिस्टम के तहत पहाड़ के अंदर चढ़ना और 17 सुरंगों से गुजरना आजाद भारत में पहली बार देखने को मिल रहा है। ... (व्यवधान) दूसरी तरफ मेरा यह कहना है कि माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा कि राज्य से होकर चलने वाली कोई भी ट्रेन पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित नहीं है। ... (व्यवधान) हालांकि, इसमें कार्य जारी है। ... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या असामाजिक तत्वों/अपराधियों का पता लगाने के लिए सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सक्षम वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर और चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर कब तक तैयार होगा? ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : महोदय, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही, एक अति महत्वपूर्ण विषय उठाया है।... (व्यवधान) यह विषय उठा है कि सीसीटीवी के माध्यम से हम यात्रियों को किस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं दे सकते हैं।... (व्यवधान) माननीय सांसद जी ने पॉइंट उठाया है कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं? ... (व्यवधान) रेलवे ने इस काम के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं।... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से उन इनिशिएटिव्स को माननीय सदन के सामने रखना चाहूंगा।... (व्यवधान) सीसीटीवी कैमरा आज की तारीख में एक बहुत ही इंटेलीजेंट यूनिट बन चुका है।... (व्यवधान) इसके माध्यम से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके, जैसे फेस रिकग्निशन, ए.आई, एक प्रॉपर सर्विलांस सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम बन सकता है, जिससे कि एक एडवांस में जानकारी मिल सके।... (व्यवधान) उस जानकारी के आधार पर जो भी कोई दिक्कत आनी हो,

चाहे वह सिक्योरिटी से संबंधित कोई पॉइंट हो, उस पर तुरन्त एक्शन लिया जा सके । ... (व्यवधान) अब तक करीब 866 स्टेशन्स पर एक अच्छा सीसीटीवी का सिस्टम लग चुका है । ... (व्यवधान) महोदय, इसके अच्छे परिणाम भी आए हैं । ... (व्यवधान) पिछले समय में कई ऐसे उदाहरण हैं ।... (व्यवधान) जैसे जो बच्चे कहीं से ट्रैफिकिंग के जरिए ले जाये जा रहे थे, उनको बचाया गया ।... (व्यवधान) कई जगह महिलाओं के सम्मान की रक्षा हुई ।... (व्यवधान) कई जगह कुछ बुजुर्ग व्यक्ति, जो कि असुविधा में थे, उनको सुविधा मिली ।... (व्यवधान) बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए कि कुछ व्यक्ति यात्रियों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी रोका गया ।... (व्यवधान) एक तरह से बहुत सारी जो दिक्कतें थीं, उनको सॉल्व किया गया है । ... (व्यवधान) जो विशेष प्रश्न माननीय सदस्य ने आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरा के बारे में पूछा है, उसके बारे में मैं आपके सामने स्पेसिफिक रखना चाहूँगा कि आईपी बेस्ड वीडियो कैमरा से, आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरा में साइबर सिक्योरिटी वाला एलीमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है । ... (व्यवधान) साइबर सिक्योरिटी वाले एलीमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन्स बनाए गए हैं।... (व्यवधान) इसमें साइबर सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । ... (व्यवधान) इसीलिए इस तरह के स्पेसिफिकेशन्स बनाए गए हैं कि किसी तरह की थ्रेट न हो । ... (व्यवधान) कोई ऐसा विदेशी, कोई देश इसको कोम्प्रोमाइज न कर सके ।... (व्यवधान) इस सब भावनाओं के साथ, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकेशन्स किए गए हैं और सीसीटीवी का आगे प्रसार हो रहा है । ... (व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल: महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इस सवाल का जवाब दिया है ।... (व्यवधान) मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि रक्सौल में यासीन भटकल ब्रदर्स पकड़े गए थे, जो नेपाल से आ रहे थे ।... (व्यवधान) उसी प्रकार चाइना के दो व्यक्ति अभी पकड़े गए, जो बिना वीजा के भारत-नेपाल सीमा पार कर रहे थे ।... (व्यवधान) भारत-नेपाल सीमा के क्षेत्र में जो रेलवे स्टेशन्स हैं, रक्सौल, भेलाई, आदापुर और छौड़ादानो, क्या इन स्टेशंस पर, जो कि एक किलोमीटर से भी

कम दूरी पर नेपाल सीमा पर हैं, वहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए, भारत-नेपाल सीमा का ध्यान रखते हुए, क्या उन स्टेशन्स पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का विचार रेल मंत्रालय कर रहा है? ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : सभापति जी, माननीय सांसद जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है, जो कि भारत और नेपाल के सीमावर्ती स्टेशनों से संबंधित है। हमारे जितने भी स्टेशन सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन सभी रेलवे स्टेशनों पर विशेष सुविधाएं हर जगह दी गई हैं।... (व्यवधान) चाहे वह भारत और बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे भारत और नेपाल की सीमा हो, हर क्षेत्र में विशेष सुविधाएं दी गई हैं। वहां आरपीएफ का स्पेशल डिप्लॉयमेंट किया गया है।... (व्यवधान) कई जगह आलरेडी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। कई जगहों पर राज्य की पुलिस के साथ विशेष कोऑर्डिनेशन करके, कई जगहों पर बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन करके सभी सीमावर्ती क्षेत्रों पर, जहां अधिक चैलेंजेज हैं, वहां स्थिति को ध्यान में रखकर हमने विशेष सुविधाएं दी हैं।... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो चार-पांच स्टेशनों के नाम बताए हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा। ... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि हर स्टेशन पर यात्री सुरक्षित रहें, यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा, यात्रियों के सामान की सुरक्षा और दूसरे क्राइम्स को प्रिवेंट करने की दृष्टि से रेलवे पूरी तरह से प्रयासरत है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इस तरह से सभा की कार्यवाही चलाना मुश्किल है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सब लोग देख रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

... (व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर³
(तारांकित प्रश्न संख्या 183 से 200
अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300 तक)

माननीय सभापति: सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

³ प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं। <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।

(डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.487(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9842/17/23]

- (2) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2023 जो 13 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.502(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2023 जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.266(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी.9843/17/23]

... (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, मैं मंत्रियों द्वारा पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

पंद्रहवीं लोक सभा

- | | | |
|----|-----------------|-------------------|
| 1. | विवरण संख्या 34 | सातवां सत्र, 2011 |
|----|-----------------|-------------------|

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या
एल.टी.9844/17/23]

सोलहवीं लोक सभा

- | | | |
|----|-----------------|----------------------|
| 2. | विवरण संख्या 31 | दूसरा सत्र, 2014 |
| 3. | विवरण संख्या 31 | चौथा सत्र, 2015 |
| 4. | विवरण संख्या 27 | पांचवां सत्र, 2015 |
| 5. | विवरण संख्या 27 | नौवां सत्र, 2016 |
| 6. | विवरण संख्या 24 | ग्यारहवां सत्र, 2017 |

- | | | |
|-----|-----------------|---|
| 7. | विवरण संख्या 20 | पंद्रहवां सत्र, 2018 |
| 8. | विवरण संख्या 16 | सत्रहवां सत्र, 2019
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9845/17/23] |
| | | सत्रहवीं लोक सभा |
| 9. | विवरण संख्या 19 | दूसरा सत्र, 2019 |
| 10. | विवरण संख्या 15 | दूसरा सत्र, 2019
[[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9846/17/23] |
| 11. | विवरण संख्या 14 | तीसरा सत्र, 2020 |
| 12. | विवरण संख्या 14 | चौथा सत्र, 2020
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9847/17/23] |
| 13. | विवरण संख्या 14 | पांचवां सत्र, 2021 |
| 14. | विवरण संख्या 13 | छठा सत्र, 2021 |
| 15. | विवरण संख्या 7 | सातवां सत्र, 2021
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9848/17/23] |
| 16. | विवरण संख्या 7 | आठवां सत्र, 2022 |
| 17. | विवरण संख्या 4 | नौवां सत्र, 2022 |
| 18. | विवरण संख्या 2 | दसवां सत्र, 2022 |
| 19. | विवरण संख्या 2 | ग्यारहवां सत्र, 2023
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9849/17/23]
... (व्यवधान) |

अपराह्न 2.02 बजे

इस समय, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री हिबी ईडन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जाइए और आप भी अपनी सीट पर बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): सभापति महोदय, मैं विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) संशोधन (संशोधन) नियम, 2023 जो 24 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 214(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9850/17/23]

- (2) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो 5 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 412(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9851/17/23]

- (3) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो 23 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 456(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9852/17/23]

- (4) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो 28 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 463(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9853/17/23]

... (व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2023 जो 22 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 455(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ.2868 (अ) जो 1 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित प्रयोजनों के लिए रेल दावा अधिकरण की ई-रेल दावा अधिकरण प्रणाली पर मुकदमेबाजों अथवा आवेदनकर्ताओं अथवा दावाकर्ताओं अथवा प्रतिनिधियों अथवा पीड़ितों के 'जी हों' अथवा 'जी नहीं' अधिप्रमाणन अथवा ई-नो योर कस्टमर तथा रेल दावा अधिकरण के अन्य एकीकृत अनुप्रयोगों अथवा समाधानों सहित सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन की अनुमति को अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9854/17/23]

(2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दि डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर रेलवे साधारण (संशोधन) नियम, 2023 जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.264(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय रेल (चालित लाइनें) सामान्य (संशोधन) नियम, 2023 जो 21

जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.526(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय रेल (चालित लाइनें) सामान्य (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 25 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.535(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9855/17/23]

(3) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 196 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.2184(अ), जो 16 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रेल अधिनियम, 1989 – कतिपय मदों में रेल संरक्षा आयुक्त की संस्वीकृति प्रदान करने से छूट को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9856/17/23]

... (व्यवधान)

(हिन्दी)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप सब अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए, वेल में मत आइए। सदन को चलाने दीजिए। वे भी बैठ जाएंगे, आप भी बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर चले जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह कोई तरीका नहीं है। पूरा देश हमें देख रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 3 अगस्त 2023 के प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 3 अगस्त, 2023 / 12 श्रावण 1945 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/ls>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और
382 के अन्तर्गत प्रकाशित
